File No.-98/2020/13-02099/1870/2019- -2-

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः **31 दिसम्बर, 2020**

विषय -**शीरा नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-5.3 में संशोधन किये जाने के सबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं-जी-.51/दस-144ए /शी. नि./उत्तराखण्ड दिनांक 12.11.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की शीरा आधारित रासायनिक इकाईयों को शीरा उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड एवं उ.प्र. राज्य के मध्य शीरे की आपूर्ति हेतु ए.ओ.यू. निष्पादित किये जाने के संबंध में आख्या उपलब्ध कराते हुए शीरा नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-5.3 में परिवर्तन परिमार्जन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं-.91/2020/ 2353 ई-2/ तेरह-2020-01-2018 दिनांक 31.10.2020 द्वारा निर्धारित शीरा नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-5.3 में दी गयी व्यवस्था के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

"शीरा वर्ष 2020-21 में उत्तराखण्ड राज्य की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक इकाईयों को 35 लाख कुन्तल शीरे की निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त शीरा नीति वर्ष 2020-21 की शेष व्यवस्थाएं यथावत् रहेगी। "

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी**)**
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in